

अधिवक्ता पक्षकारान उप0।

प्रतिवादी संख्या 16 के वारिस सुरेश व उषा कोठारी, प्रतिवादी संख्या 17 के वारिस बेला, रेखा ऐरन तथा प्रतिवादी संख्या 18 के वारिस श्वेता के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादी 16 के शेष वारिसान पुष्पा गुप्ता, महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता तथा प्रतिवादी संख्या 17 के शेष वारिसान सुनील मित्तल, सुशीला ऐरन, बेला ऐरन, सुजाता बंसल, रेणू अग्रवाल तथा प्रतिवादी संख्या 18 के शेष वारिसान गीता, रानू अग्रवाल, एवं प्रतिवादी संख्या 32 के वारिसान अलका गर्ग एवं अक्षत व आयुब दोनो नाबालिग जरिये माता अलका गर्ग के समन अखबार में प्रकाशित करवा कर फर्द दस्तावेज के साथ अखबार एवं बिल पेश किए गये। उक्त वारिसान की ओर से कोई उपस्थित नही आया आवाजे लगवायी गयी। न्यायालय समय 4:00 पी.एम. हो चुका है।

प्रतिवादी संख्या 18 के वारिस गोल्डी का समन अखबार मे साया नही हुआ है जिसके समन तामील कर पेश करने हेतु अधिवक्ता वादी समय चाहते है। समन पेश करने पर गत आदेशानुसार अखबार में साया करवा कर अखबार एवं बिल पेश करे। पत्रावली वास्ते उचित आदेश प्रतिवादी के उपरोक्त वारिसान हेतु एवं पेश होने अखबार प्रतिवादी संख्या 18 के शेष वारिस गोल्डी हेतु दिनांक 16.09.2025 को पेश हो।

जाती  
11-9-25  
अखबार हेतु  
11/9/25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
संख्या-3 अजमेर  
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
संख्या-3 अजमेर

16.9.25  
प्रतिवादी सं. 16 के वारिस सुरेश व उषा कोठारी, प्रतिवादी सं. 17 के वारिस बेला, रेखा ऐरन तथा प्रतिवादी सं. 18 के वारिस श्वेता के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही है।  
प्रतिवादी सं. 16 के शेष वारिसान पुष्पा गुप्ता, महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता तथा प्रतिवादी सं. 17 के शेष वारिसान सुनील मित्तल, सुशीला ऐरन, बेला ऐरन, सुजाता बंसल, रेणू अग्रवाल तथा प्रतिवादी सं. 18 के शेष वारिसान गीता, रानू अग्रवाल एवं प्रतिवादी सं. 32 के वारिसान अलका गर्ग एवं अक्षत व आयुब दोनो नाबालिग जरिये माता अलका गर्ग के समन अखबार में प्रकाशित करवा कर फर्द दस्तावेज के साथ अखबार एवं बिल पेश किए गये। उक्त वारिसान की ओर से कोई उपस्थित नही आया आवाजे लगवायी गयी। न्यायालय समय 4:00 पी.एम. हो चुका है।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
संख्या-3 अजमेर